न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : सन 2018

अनवान :–

1. किताब पत्नि बृजलाल जाति बाजीगर निवासी जबरासर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. जगदीश 2 महावीर 3 इन्द्राज पि0 भजना जाति बाजीगर निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 महेन्द्र 5 भूपसिह पि0 मनीराम जाति बाजीगर निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6 कृष्णलाल 7 साहबराम 8 दलीप कुमार पि0 अमीलाल जाति बाजीगर निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04-1-2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 304/218 के खसरा न0 176 की 3.5400हैक , खसरा न0 180 की 4.0480हैक खसरा न0 182 की 2.0990हैक खसरा न0 195 की 1.8340हैक कुल तादादी 11.5220हैक भूमि जिसके भजनाराम खातेदार काश्तकार है।

वादी के दादा भजंनाराम के देहान्त होने के बाद वाद भूमि उसके पुत्रों एवं उसकी पत्नि पर औद हुई जिसमें से दो पुत्र मनीराम , अमीलाल एव बादामा का देहान्त हो चुका है एवं मीनराम की पत्नि एवं पुत्रीयों ने दस्तबरदारी करवाई जा चुकी है इसी प्रकार अमीलाल के पुत्रीयों व उसकी पत्नी ने भी दस्तबरदारी करवा दी अब रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 304/218 की कुल 11.5220हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

उक्त भूमि भजना के देहान्त होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उसकी लडकी किताब का नाम अंकन नही किया गया जबकि किताब वादीया का वाद भूमि में हक हिस्सा है जो प्राप्त करने की अधिकारी है वादी एवं प्रतिवादीगण का आपसी सहमति से परिवारिक समझौता होने पर वादिया को 5.00 बीधा भूमि देनी तय हुई है जिसे वादीया अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय भजना की पुत्री किताब होने के कारण वाद भूमि में हक हिस्सा था जो दर्ज नही हुआ जिसे दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादी का यह भी कथन है कि प्रतिवादीगण के साथ परिवारिक समझौता होने पर 5.00 बीधा भूमि दी जानी तय हुई है वादीया के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परिवारिक समझौता में वादीया को 5.00 बीधा भूमि दी जानी तय हुई है जिसे उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 एवं भजना की पुत्री किबात का बराबर का हक हिस्सा तथा वादीया का कथन है कि उसके पिता भजना के देहान्त होने के बाद उसके हक हिस्सा की भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना होकर प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज हो गई अब वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य परिवारिक समझौता होने पर 5.00 बीधा भूमि वादीया का दी जानी तय हुई इसलिये वादीया अपने परिवारिक समणैता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है वादीया के कथनों को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादीया को परिवारिक समझौता में दी गई भूमि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 304/218 की कुल 11.5220हैक भूमि में से वादीया अकेली 1.265हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1.66717हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.66717हैक प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1.66717हैक प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब 1.66717 हैक प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1.66717हैक भूमि के खातेदार काश्तकार है शेष हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 4/1/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official